## New Delhi, the 2nd July, 2019

- **S.R.O. 61.–** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, (Stenographer) post, Recruitment Rules, 2011, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, (Stenographer) post, Recruitment (Amendment) Rules, 2019.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, (Stenographer) post, Recruitment Rules, 2011,-
  - (a) for rule 2, the following rules shall be substituted, namely:-
    - "2. Number of posts, classification and level in pay matrix.—The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.";
  - (b) in the Schedule, in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely: -

"Level in pay matrix	
(4)	
Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500 to Rs. 81100)";	

[F. No. A/86320/RR/Stenographer/DGQA/Adm-10/243/D(QA)/2019]

JAYASREE CR, Under Secy.

**Note**: The principal rules were published vide notification number SRO 71 dated the 18 Nov 2011 in the Gazette of India, Part-II, Section-IV, dated 26 Nov, 2012.

## नई दिल्ली. 2 जलाई. 2019

- का.नि.आ. 62.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ख' पदों (मुख्य फोटोग्राफर और वरिष्ठ फोटोग्राफर) भर्ती नियम, 2012 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-
- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ख' पद (मुख्य फोटोग्राफर और वरिष्ठ फोटोग्राफर) भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 है ।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ख' पदों (मुख्य फोटोग्राफर और वरिष्ठ फोटोग्राफर) भर्ती नियम, 2012 में, -
  - (1) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:-
    - "3. पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर : पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होगें, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं। "
  - (2) इस अनुसूची में, -
    - (क) मुख्य फोटोग्राफर के पद से सम्बन्धित क्रम संख्या 1 के सामने, -
      - (i) स्तम्भ (4) में, स्तम्भ शीर्षक और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तम्भ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर 7 (44900 - 142400 रु)";

- (ii) स्तम्भ (11) में "उपशीर्षक 'प्रोन्नति' के अधीन (क) "वेतन बैंड – 2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु." शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400-112400 रु.)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखें जाएगें।
- (iii) "टिप्पण 3" का लोप किया जाएगा।
- (ख) जयेष्ठ फोटोग्राफर (भूतपूर्व जयेष्ठ फोटोग्राफर श्रेणी-I और जयेष्ठ फोटोग्राफर श्रेणी-II) क्रम के सामने, -
  - (i) स्तम्भ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर प्रविष्टियां "स्तर 6 (35400-112400 रु.")" रखी जायेंगी;
  - (ii) स्तम्भ (11) में, "उपशीर्षक 'प्रोन्नति' के अधीन,-(क) "वेतन बैंड – 1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु." शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर ""वेतन मैट्टिक्स में स्तर 5 (29200-92300 रु.")" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखें जाएगें।
  - (iii) "टिप्पण 3" का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. ए/86320/आर.आर./मुख्य फोटोग्राफर और वरिष्ठ फोटोग्राफर/डीजीक्यूए/प्रशा-10/ 242/डी(क्यूए)/2019]

जयश्री सी. आर.,अवर सचिव

**टिप्पण** : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4, तारीख 21/07/2012 में अधिसूचना संख्या का. नि. आ 52, तारीख 02 जुलाई, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

## New Delhi, the 2nd July, 2019

- **S.R.O. 62.** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group 'B' posts (Chief Photographer and Senior Photographer) Recruitment Rules, 2012, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group 'B' Posts (Chief Photographer and Senior Photographer) Recruitment (Amendment) Rules, 2019.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group 'B' posts (Chief Photographer and Senior Photographer) Recruitment Rules, 2012,-
  - (A) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-
    - "3. Number of posts, classification, level in pay matrix or pay scale. The number of said posts, their classification and level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules".
  - (B) in the Schedule,-
    - (a) against serial number 1, relating to the post of Chief Photographer, -
      - (i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely, -

"Level in pay matrix or pay scale.		
(4)		
Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900 - 142400)";		

- (ii) in column (11), under the sub-heading 'Promotion',-
  - (I) for the words figures and letters "the pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200", the words, figures, brackets and letters "Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400)" shall be substituted;
  - (II) "Note 3" shall be omitted;
- (b) against serial number 2, relating to the post of Senior Photographer [Erstwhile posts of Senior Photographer Grade-I and Senior Photographer Grade-II], -
  - (i) in column (4), for the entries, the entries "Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400)" shall be substituted;
  - (ii) in column (11), under the sub-heading 'Promotion',-
    - (A) for the words, letters and figures "the pay scale of Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2800 in pay band-1", the words, figures, brackets and letters "level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300)" shall be substituted;
    - (B) "Note 3" shall be omitted.
- [F. No. A/86320/RR/Chief Photographer and Senior Photographer/DGQA/Adm-10/242/D(QA)/2019]

JAYASREE C. R., Under Secy.

**Note:** The Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group 'B' posts (Chief Photographer and Senior Photographer) Recruitment rules, 2012 were published vide notification number S.R.O. 52, dated the 2<sup>nd</sup> July, 2012 in the Gazette of India, Part-II, Section-4, dated the 21<sup>st</sup> July, 2012.

## नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2019

- का.नि.बा. 63.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, किनष्ठ तकनीकी अधिकारी (वैज्ञानिक) और वैज्ञानिक सहायक समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-
- **1.** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (वैज्ञानिक) और वैज्ञानिक सहायक समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, किनष्ठ तकनीकी अधिकारी (वैज्ञानिक) और वैज्ञानिक सहायक समृह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011 में, -
  - (1) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.- पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।"
  - (2) अनुसूची में, -
- (क) क्रम सं. 1 के सामने, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (वैज्ञानिक) [तत्कालीन ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद] के संबंध में -
- (i) स्तम्भ (4) में, स्तम्भ, शीर्ष और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तम्भ और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	
(4)	
वेतन मैट्रिक्स (44900 से 142400 रु)"; में स्तर 7";	